प्रकरण संख्या 22/2022 लक्ष्मीलाल व अन्य बनाम विनोद कुमार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गवारड़ी, तहसील रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 894, 895, 896 कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा व 3/80 कुल 19/80 हिस्सा होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा एवं शेष 1/80 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होते हुए भी प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से बिना भूमि का संपरिवर्तन कराये मकान निर्माण कराने पर आमादा है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वाद वर्णित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 5 तनकिया कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 29.07.2022 को वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 12.10.2022 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिमाशु सोलंकी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियत पेशी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 27.06.2022 को अपीलान्ट के अधिवक्त पारिवारिक कारणों से अचानक बाहर चले गये, जिससे उपस्थित नहीं हो सके तथा अपीलान्टगण के भी रिश्तेदारी में मृत्यु हो जाने से अपीलान्टगण भी उपस्थित नहीं हो सके, जिससे उन्हें बिना सुने एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गयी है, जिसकी जानकारी दिनांक 09.10.2022 को अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर होने से अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अपील प्रस्तुत करने में मात्र 10 दिन का विलम्ब हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में मात्र 14 दिन का विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण काफी समय से साक्ष्य वादी हेतु नियत था तथा वादी ने करीब दो वर्षो तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। दिनांक 26.07.2022 को भी पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत थी, लेकिन अपीलान्टगण के अधिवक्ता पारिवारिक कारणों से बाहर होने से तथा अपीलान्टगण के भी रिश्तेदारी में मृत्यु हो जाने से अपीलान्टगण भी उपस्थित नहीं हो सके, जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी, जिससे अपीलान्टगण को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजियात अपीलान्टगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अलग–अलक क्रय की गयी है, जिस पर मौके पर अपीलान्ट की पुरानी दीवार बनी होकर बाड़ा बना हुआ है तथा पशुओं के घास फूस रखने हेतु कमरे बने हुए हैं एवं चारों ओर पुरानी बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौके पर पूर्व से ही विभाजन हो चुका है तथा पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा अपीलान्टगण को बिना सुने एकपक्षीय [illegible]री कर दी है, जो त्रुटि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

पूर्ण होने से अपास्त की तथा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से निर्णय गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। आदेशिका दिनांक 27.06.2022 अनुसार वादी की साक्ष्य बन्द की गयी तथा प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार प्रतिवादी/अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जबकि अपीलान्टगण विवादित आराजियात के सहखातेदार हैं। ऐसी स्थिति में सहखातेदार को बिना सुने एकपक्षीय डिक्री जारी किया जाना प्रथम दृष्टया विधि सम्मत नहीं है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 181/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested